No.21/7/2023-CS.I (Coord.) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (CS.I Division)

Lok Nayak Bhawan, New Delhi Dated the 2 Guly, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Vacancy Circular (VC) for engagement of Consultant in the Department of Health and Family Welfare on contract basis - Regarding.

Reference is invited to Ministry of Health & Family Welfare's Circular No. Z.28015/15/2022-Estt.II dated the 17th July,2023 (copy enclosed) for inviting applications for engagement of Consultant in the Department of Health and Family Welfare on contract basis. The last date of the application is within twenty days of issue of this Circular.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/Department/Office directly.

Encl: As above

Under Secretary to Government of India

To

(through DoPT's website): (For Retired Officers)

No.Z.28015/15/2022-Estt.II Government of India Ministry of Health & Family Welfare (Establishment-II)

Nirman Bhawan, New Delhi Dated the 17.07.2023

CIRCULAR

Subject: Engagement of Consultant in the Department of Health and Family Welfare on contract basis.

Ministry of Health and Family Welfare invite applications from retired government servants for engagement as Consultant on contract basis. The consultant will be posted in the Department. Detailed terms and conditions of engagement of consultant are annexed. The eligibly criteria and other details are as follow:

1.	No. of consultants to be engaged on contract basis:	1	
	Age limit	Maximum of 63 years as on date of Circular	
3.	Place of assignment	Department of Health & Family Welfare	
		One Year	
5.	Eligibility	As per Annexure	
6.	Assignment		

Interested persons who are in a position to join immediately on call may submit their particulars in the enclosed format along with a copy of PPO, addressed to the "Under Secretary (Admn.), Room No.-330 'C-wing', Nirman Bhawan, New Delhi" within twenty days of issue of this Circular.

(Rajeew Jaiswal)

Under Secretary to Government of India Telefax: 23061323

1. NIC, MoHFW for publishing the circular in M/o of Health & FW's website.

2. Under Secretary (CS.I)(Kind Attn: Shri Sunil Kumar), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - for publishing the circular in DoPT's website.

3. E-office notice board.

4. Notice board

Assignments:

To assist in following matter of ICAHP, AHS Section

- (i) Instrumental in handling the entire system of receipts and payments, budgets/ advances/interacting with banks.
- (ii) Calculation, deduction of TDS and preparation of statement for TDS returns.
- (iii) Verification and validation of bills/voucher.
- (iv) Ensure authenticity of expenses before payments.
- (v) Vouchers posting in Tally package (ERP.9 and above version).
- (vi) Preparation of financial reports/presentation as per requirement on timely basis.
- (vii) Reconciliation of bank statement & other account balances.
- (viii) Voucher preparation and filling works.
- (ix) Maintain inward-outward & asset register, etc. as required.
- (x) Processing of travel claims of ICAHP personnel.
- (xi) Implementation of the effective financial control.
- (xii) Proficiency to independently handle Public Financial Management System.
- (xiii) Undertake any other assignments, which may be assigned to time.
- (xiv) Any other matter in respect of ICAHP.

Eligibility

- Retired Government officers at the level of Accountant/ Accounts Officer, well versed in handling the financial/ accounting matters, handling PFMS, TA/DA claims, Sitting Fees, procurement, GST claims etc.
- Education Qualification: B.Com/ M.Com/ MBA(Finance)

Terms and Conditions for engagement of Consultant in the Ministry of Health & Family Welfare.

1. The Consultant shall perform the services as assigned by the controlling officer.

2. The normal working hours would be from 9.00 am to 5.30 p.m. with lunch break of 30 minutes from 1.00 p.m. to 1.30 p.m. from Monday to Friday.

3. The consultant shall be entitled to leave at the rate of 1.5 days of leave for every completed month of service, to be availed with prior permission.

4. In special circumstances, the consultant could be called for services on holidays or beyond normal working hours.

5. The contractual appointment is for a maximum period of one year, extendable as per requirement, in Ministry of Health & Family Welfare.

- 6. The consultant shall be paid a consolidated remuneration as per the formula of last pay drawn minus pension subject to TDS etc. The remuneration for the services rendered in a month shall be payable in subsequent month. No other allowances shall be permissible to him except TA/DA on official tours. TA/DA entitlement shall be the same as what was entitled to him at the time of retirement from the service.
- 7. Ministry of Health & Family Welfare shall have the right to examine / review the services provided by him.
- 8. He shall perform his obligations with all necessary skills, diligence, efficiency and economy.
- 9. No medical facility shall be provided to him by the Ministry of Health and Family Welfare. The remuneration is deemed to include an element to cover the cost of medical cover, if any.
- 10. The Ministry shall not be responsible for any loss, accident, damages / injury suffered by him, whatsoever arising in or out of the execution of his work, including travel.
- 11. During the terms of service, he shall not engage in any private business of professional activity which could conflict with the interest of the Government.
- 12. He shall treat all official information as confidential and use the same only for the purpose of the performance of the services.
- 13. The service can be terminated by either side by giving one month's notice.

APPLICATION FORMAT FOR APPOINTMENT AS CONSULTANT IN NORTH EAST SECTION. MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

* ***	From	10		1 ' '	
5.5 million monthle		To	- I THE UNITED TO THE PARTY OF	A THE TAX	İ
Organization/Institute	Peri		Nature of work	Remarks	
Work Experience (Add sep	parate shee	t is reau	ired)	. Har y ref , w weer	-
	· -			-	
Educational Qualification	• ,			·	
•			*		•
Permanent Address					
Mailing Address	•		,		
E-mail ID					
Mobile No.			-	,	
Telephone No.					
•			•		
Basic Pension	_		•, •	-	
Pay Level / Grade Pay		•			
Last pay drawn (Basic)				•	
Designation last held					
Department retired from					Tanana .
Date of Retirement				, [
	•			photograp	ph
Aadhar Number			·	passport size	
Date of Birth				Affix rece	ent
Father's Name			•		
•				_	

I certify that the information provided in this application is true and correct as on the date submission of this application. I understand that withholding of information or giving false

information will result in a refusal to hire / termination of employment / civil penalty.

Place

Date .

(Signature)

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थापना-!!

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 17.07.2023

<u>परिपत्र</u>

विषय : अनुवंध के आधार पर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्ते संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:

1.	अनुवंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	1
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम वर्ष 63
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता .	अनुलग्नक के अनुसार
6.	कार्यभार	-igan is it of gally

- 2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के बीस दिनों के अन्दर सम्वधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपों में अपना विवरण "अवर सचिव(प्रशासन), कमरा नंवर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए " सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।
- 3. हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।

··(राजीव_'जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टैलीफैक्स: 23061323

- 1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
- 2. ई ऑफिस नोटिस बोर्ड
- 3. नोटिस बोर्ड
- 4. अवर सचिव (सीएस.I) (ध्यानाकर्षण: श्री सुनील कुमार), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए।

(आईसीएएचपी, एएचएस अन्भाग	(आईसीएएचपी,	एएचएस	अनुभाग)
--------------------------	-------------	-------	---------

(आइसीएएचपी, एएचएस अनुभाग)	
क्र.सं.	कार्यभार
	(अवधि - एक वर्ष)
आईसीएएचपी, एएचएस अनुभाग के	
निम्जलिखित कार्यों में सहायता करना	• लेखाकार/लेखा अधिकारी स्तर के सेवानिवृत
(i) प्राप्तियों और भुगतानों, बजट/ अग्रिम/ बैंकों के साथ समन्वय की संपूर्ण प्रणाली को	सरकारी अधिकारी, जो वितीय/लेखा, पीएफएमएस, टीए/डीए, बैठक शुल्क, खरीद,
संभातने में सहायता करना ।	जीएसटी आदि से सम्बंधित कार्यों में पारंगत हों।
(ii) टीडीएस की गणना, कटौती और टीडीएस रिटर्न के लिए विवरण तैयार करना।	• <u>शैक्षणिक योग्यताः</u> बी.कॉम/ एम.कॉम/ एम.बी.ए. (वित)
(iii) बिल/वाउचर का सत्यापन और वैधीकरण।	
(iv) भुगतान से पहले खर्ची की प्रामाणिकता स्निश्चित करना !	•
(v) टैली पैकेज (ERP.9 और इससे ऊपर	·
का संस्करण) में वाउचर पोस्टिंग करना	
(vi) समय पर और आवश्यकता के अनुसार वितीय रिपोर्ट/प्रस्तुति तैयार करना।	
(vii) बैंक विवरण और अन्य खाता शेष का	
मिलान करना ।	
(viii) वाउचर तैयार करना एवं उन्हें भरने का कार्य।	
(ix) आवश्यकतानुसार इनवर्ड-आउटवर्ड एवं	1
परिसंपति रजिस्टर आदि का रख रखाव	
(x) आईसीएएचपी कर्मियों के यात्रा दावों का	
प्रसंस्करण।	
(xi) प्रभावी वितीय नियंत्रण का कार्यान्वयन।	
(xii) सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली को स्वतंत्र रूप से संभालने में दक्षता।	٠,
(xiii) समय समय पर सींपे गए अन्य कार्य	
करना ।	
(xiv) आईसीएएचपी के संबंध में सींपे गए अन्य मामले।	

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्ते:-

_	वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय म परामशदाता का नियुक्ति हुतु नियम व शत:-
1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	अपराह्न मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1:5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमित लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों मेंपरामर् ,शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता / देय नहीं होगा। टीएडीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।/
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचसमीक्षा करने का / ।अधिकार होगा
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करें ,परिश्रम ,गे।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता हैयदि कोई हो। ,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि ,दुर्घटना , क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/नुकसान
11	सेवाकाल के दौरानवो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे , करें। जो सरकार से हित का टकराव पैदा
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आईसीएएचपी, एएचएस अनुभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

नामः		
पिता का नामः		
जन्म तिथिः		
आधार सं:		
सेवानिवृत्त की तारीखः	-	
अंतिम कार्यालय का नामः	. •	٠
अंतिम पदनामः		•
अंतिम आहरित वेतनः		,
पेंशनः	:	
दूरभाष सं:		
मोबाइल नंबरः		
ईमेल आईडी:-		
मेलिंग पताः		•
स्थायी पताः	· .	
शैक्षिक अर्हताः		
कार्य अनुभव (यदि आवश्यकता हो ,अलग से पेपर लगाएं)		
संगठनसंस्थान/ अवधि	कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
कब से कब तक		

(हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः